छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

14 SEP 2015

क्रमांक–एफ–4–167/सात–1/2015 नया, रायपुर दिनांक 11 सितम्बर, 2015

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–जशपुर,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अवार्ड पारित करने के संबंध में मार्गदर्शन बाबत ।

संदर्भः आपका अर्ध.शा. पत्र क्रमांक 4922/भू–अर्जन/2015 दिनांक 4.9.2015

–0–

उपरोक्त विषयातर्गत कृपया अपने अर्ध.शा. पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा यह सूचित किया गया है, कि अधिनियम, 2013 के अनुसूची–2 की कंडिका–4 में प्रभावित कुटुंब को एक बार पांच लाख रूपये संदाय करने का उल्लेख है, ऐसी स्थिति मे जिन प्रकरणों में कृषक विस्थापित नहीं हो रहे है, क्या उन प्रकरणों में भी पांच लाख रूपये दिया जाना है ? इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है ।

2. उक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है, कि अधिनियम, 2013 के अनुसूची–2 की कंडिका–4 में दर्शित वार्षिक एवं नियोजन का विकल्प भू–अर्जन से प्रभावित प्रत्येक परिवार के लिये लागू होगा तथा उन्हें भूमि का मुआवजा के साथ–साथ कंडिका–4 में दर्शित 3 विकल्पों में से एक विकल्प का लाभ भी पुनर्वास पैकेज के रूप में प्राप्त होगा । इस पुनर्वास पैकेज का लाभ प्राप्त करने के लिये परिवार को विस्थापित होना आवश्यक नहीं है ।

3. अतः कृपया भू–अर्जन का मुआवजा निर्धारित करते समय अधिनियम के उक्त प्रावधानों का पालन एवं कियान्वयन करना सुनिश्चित करें ।

(के.आर.पिस्दा) 11/9/2015
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक–एफ–4–167/सात–1/2015 नया, रायपुर दिनांक 11 सितम्बर, 2015

14 SEP 2015

प्रतिलिपिः

समतस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव 11/9/2015
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग